प्रेषक:

सुरेश कुमार शर्मा,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 05 सितम्बर, 2016

विषय:- जनपद आगरा के शमशाबाद नगर एवं जनपद अलीगढ़ के अलीगढ़ शहर में एल0टी0 एवं एच0टी0 उपरिगामी लाइनों को भूमिगत केबिल कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में अंशपूँजी मद में वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक तकनीकी, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा के पत्र संख्या-7882/नि0तक0/द0वि0वि0नि0लि0/आगरा/सा0प्र0, दिनांक 25.06.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को वितरण हानियों एवं विद्युत चोरी को कम करने हेतु भूमिगत केबिल कार्य करने के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 में अंशपूँजी मद में प्राविधानित धनराशि रूपये 375,00,00,000/- (रूपये तीन सौ पचहत्तर करोड़ मात्र) में से जनपद आगरा के शमशाबाद नगर हेतु धनराशि रूपये 13,77,23,000/- (रूपये तेरह करोड़ सतहत्तर लाख तेईस हजार मात्र) एवं जनपद अलीगढ़ के अलीगढ़ शहर में एल0टी0 एवं एच0टी0 उपरिगामी लाइनों को भूमिगत केबिल कराये जाने हेतु धनराशि रूपये 65,53,00,000/- (रूपये पैंसठ करोड़ तिरपन लाख मात्र) अर्थात कुल धनराशि रूपये 79,30,23,000/- (रूपये उन्नासी करोड़ तीस लाख तेइस हजार मात्र) निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

2- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का भौतिक एवं वित्तीय प्रगति उपलब्ध करायी जायेगी।

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्कता होने पर किया जायेगा।

4- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या- 426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

5- स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद/लखनऊ और ऊर्जा/वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

6- आयोजनागत मदों में स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में आयोजनेत्तर मदों में नहीं किया जायेगा।

7- यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्ही कार्यों के लिए हो जो संबंधित डिस्काम्स द्वारा अपरिहार्य रूप से कराये जाने हो तथा जिनकी तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त कर ली गयी हो।

http://shasanadesh.up.nic.in

8- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

9- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष किये जाने वाले कार्य की द्विरावृति रोकने के दृष्टि से उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम के अन्तर्गत न स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम से आच्छादित है।

10- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष यदि किये जाने वाले कार्यों के स्वीकृत आगणन में प्रस्तावित कार्य लागत में संस्तुति धनराशि से प्रस्तावित 10 प्रतिशत से अधिक का घनात्मक प्रविर्तन यदि आता है तो समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्ति किये बिना अधिक्य विचलित कार्य नहीं किया जायेगा। अनुमोदित कार्यों की तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने से पूर्व विस्तृत डिजाईन/ड्राइंग बनायी जायें। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था एवं उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 का होगा।

11- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक "4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय -आयोजनागत-05-संचरण तथा वितरण-190-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-06-उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को वितरण हानियों एवं विद्युत चोरी को कम करने हेतु भूमिगत केबिल कार्य हेतु अंशपूँजी -30-निवेश/ऋण" के नामे डाला जायेगा।

12- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-यू0ओ0-199/दस-2016, दिनांक 02 सितम्बर, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें हैं।

भवदीय,

(सुरेश कुमार शर्मा)
विशेष सचिव।

संख्या-97/2016/1508(1)/24-1-16, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद 211001।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद 211001।
3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर- एच, अलीगंज लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
5- प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा, उ0प्र0।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/ गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(सुरेश कुमार शर्मा)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in